

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/गुच्छण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरी के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत सिद्ध की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 394 दिनांक 02/12/2020

शर्तें एम.एच.डी.ओ. जी.ओ.ए. सि.डी.

न.राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No=203-ए जेड एस.वी. बी.जे.स

जी + 1

आवासीय

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 10250/-

जारीये रसीद संख्या 2069/3635, 3636

दिनांक 02/12/2020 को जमा करा दी है ।

रजिस्ट्रार संख्या 01, ग्राम डिगाड़ी

दिनांक 31/12/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

स्वीकृत है